

## राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर

विस्तृत विज्ञापन

दिनांक : 17.07.2025

क्रमांक: विज्ञापन सं. 03/EXAM/A.En.(Agriculture)/RPSC/ EP-I/2025-26

आर्योग हाथा कृषि विभाग के सिए राजस्वान अधीनी होता नियम, 1980 के अनुसार राजस्वाक कृषि अधिकारी (Assistant Agriculture Engineer) के 261 पदों पर भारी हुए और उनमें से अधिकारी नियमित आवश्यकता नियमित नहीं है। यह स्वार्थ है कि राजस्वाग से प्राप्त कुल रिकॉर्ड पद एवं उनमें आवश्यक पदों की संख्या (पदों की संख्या में कर्मी/कृषि की जा सकती है) नियमित नहीं है।

Name of Post	No. of Post (s)	Gen. (UR)			S.C.			S.T.			O.B.C.			M.B.C.			E.W.S.								
		GEN.	GEN. WE	WD	DV	GEN.	GEN. WE	WD	DV	GEN.	GEN. WE	WD	DV	GEN.	GEN. WE	WD	DV	GEN.	GEN. WE	WD	DV				
Assistant Agriculture Engineer	281	71	20	8	2	32	9	4	0	24	7	3	0	42	12	4	1	10	3	1	0	20	6	2	0

Horizontal Reservation - 1. Ex. Ser. - Gen./UR-5, SC-2, ST-1, OBC-2, MBC-0, EWS-1

2. P.H. - (i) B.L.V-3 (ii) D.H.H- 3 (iii) LD/CP & Obs-3, (iv) (a) I.D., M.I., S.I.D & Autism (b) Mul. Dis. - 3

**Abbreviations Used:** GEN – General, U.R - Unreserved, SC – Scheduled Castes, ST- Scheduled Tribes, OBC – Other Backward Classes, MBC- More Backward Classes, EWS – Economically Weaker Sections, GEN WE – General Women, WD-Widow, DV-Divorced, B/L.V- Blindness/Low Vision, D-Deaf, H.H-Hard of Hearing, LD/CP & Others – Locomotor Disability including Cerebral palsy, leprosy cured, dwarfism, acid attack victims and muscular dystrophy, Spinal Deformity (SD)/Spinal Injury (SI) without any associated neurological/limb dysfunction, I.D - Intellectual disability, M.I- Mental Illness, S.L.D - Specific Learning Disability, Mul.Dis - Multiple Disability, Ex. Ser. - Ex Serviceman, P.H. - Physical Handicapped.

गाँठ ८

- कानिक (क-2) दिया गी अधिसूचना दिनांक 17.01.2013 के अनुसार किसी वर्ष दिशें में सीधी भर्ती के लिए अनुसूचित जातियों या, धरातियों, अनुसूचित समाजातियों एवं कानिक (क-2) दिया गी अधिसूचना दिनांक 28.07.2023 के अनुसार किसी वर्ष दिशें में सीधी भर्ती के लिए पिछड़े बर्ती और धरातियों के लिए पिछड़े बर्ती और सीधी भर्ती के लिए इस प्रकार आरक्षित रिक्तियों को अनुसार भर्ती जायेगी परन्तु यदि किसी भर्ती वर्ष में भर्ती नहीं तो ऐसे भर्ती वर्ष को इस उपनियम के प्रयोगन के लिए संगतित नहीं किया जायेगा परन्तु यह कार कि इस उपनियम के अन्तीम समान्य प्रक्रिया के अनुसार जितियों का नया जना पद अधिकारी रोटर के अनुसार पदों के आकान को प्रभावित नहीं करेगा और रोटर ने अन्तिम पदों पर उपलब्ध रिक्तियों को अनुसूचित जातियों या, धरातियों, अनुसूचित समाजातियों पिछड़े पर्यां और धरातियों के लिए अधिकारी वर्ष के व्यक्तियों में से भरा जा सकेगा जिनके लिए ऐसी दिशित पश्चात्यार्थी वर्षों में उपलब्ध हो।
  - राजस्वान राज्य के अधिकारी वर्ष से कमतीर वर्ष (E.W.S.) के लिए आरक्षित पदों हेतु पात्र एवं उपयुक्त अन्यथी उपलब्ध नहीं होने पर इन पदों को नियमानुसार सामान्य प्रक्रिया से भरा जायेगा।
  - किसी वर्ष दिशें में या तो कियक या विभिन्न विकाह/परिष्पक्ता/तलाकमुदा नहिलातों में से किसी में पात्र और उपयुक्त अन्यथायों के उपलब्ध न होने की दशा में विकाहों को प्रबन्ध अन्न-परिवर्तन द्वारा, अर्थात् विकाहों के लिए आरक्षित रिक्तियों को विभिन्न विकाह/परिष्पक्ता/तलाकमुदा नहिलातों से या इसके विपरीत (Vice Versa) के लिए आरक्षित रिक्तियों से भरा जा सकेगा। वर्षाका रूप से किया और विभिन्न विकाह/परिष्पक्ता/तलाकमुदा अन्यथायों के उपलब्ध न होने की दशा में न यही गयी विकाहों तकी प्रवर्ती की अन्न नहिलातों द्वारा भरी जाएगी और पात्र तथा उपयुक्त नहिला अन्यथायों के उपलब्ध न होने की दशा में उनके लिए इस प्रकार आरक्षित रिक्तियां उस प्रवर्ती के पूरक अभ्यर्थियों द्वारा भरी जाएगी विश्वासों लिए रिक्तियां आरक्षित हैं। नहिला अभ्यर्थियों के लिए इस प्रकार आरक्षित विभिन्न प्रकारकान जो के लिए अपनीत नहीं की जायेगी। विकाहों और विभिन्न विकाह/परिष्पक्ता/तलाकमुदा नहिलातों सहित, नहिलातों के लिए आरक्षण को प्रवर्ती के नीतर शीतिज आकान नहा जायेगा अर्थात् प्रवर्ती की सामान्य योग्यता में अपनीत नहिलातों को भी वहले नहिला कोई के विकल्प समावेशित किया जायेगा।
  - विशेष धीर्घजन्म/निःक्रियाजन के लिए वर्षाएँ एवं पदों का आकान लीटिज (Horizontal) है अर्थात् अभ्यर्थी विशेष वर्ष का होगा उसे तीसी वर्ष के अन्तर्गत समायोजित किया जायेगा।
  - राजस्वान सिपिल सेवा (प्राप्तपूर्व सेवियों का अमेलन) नियम, 1988 वो अनुसार भूतपूर्व सेवियों के लिए विशेष वर्ष का आकान सीधी भर्ती में प्रवर्तीवार लीटिज (Categorywise-Horizontal) होगा। किसी वर्ष दिशें में पात्र और उपयुक्त भूतपूर्व सेवियों की अनुपलब्धता की दशा में, उनके लिए इस प्रकार आरक्षित रिक्तियों सामान्य प्रक्रिया के अनुसार भर्ती जायेगी और विशेषयों की समान संख्या अगले भर्ती वर्ष में अपनीत की जायेगी तथा तप्पवात् ऐसी विशेषयों व्यवस्था हो जायेगी।
  - राजस्वान दिशाओंजन लीटिजन नियम, 2018 के अनुसार जहां किसी भर्ती वर्ष में कोई विभिन्न उपयुक्त इच्चामार्क निःक्रियाजन तीन अनुपलब्धता के कारण या किसी अन्य कारण से भरी नहीं जा सकी हो, तो ऐसी विभिन्न आगामी भर्ती वर्ष में अपनीत की जायेगी और यदि आगामी भर्ती वर्ष में भी उपयुक्त इच्चामार्क निःक्रियाजन उपलब्ध नहीं होता है तो विभेदता उस विभिन्न को निःक्रियाजन के अलावा अन्य व्यक्ति से भर सकेगा।
  - अनुसूचित जाति, अनुसूचित समाजातियों, अन्य पिछड़ा वर्ष, अदि पिछड़ा वर्ष, आरक्षित रूप से अमजोर वर्ष एवं भूतपूर्व सेवियों हेतु आरक्षित पदों का सामान्य वर्ष के अन्तर्गत ही आवेदन करना होगा। समनीय संचालन न्यायालय द्वारा C.A. No. 1085/2013 में परित नियम दिनांक 30.06.2018 एवं नानीय उच्च न्यायालय जायपुर द्वारा D.B.S.A.W. No. 1116/2018 में पारित विधिवाचिक दिनांक 18.08.2018 के अनुसार राजस्वान राज्य के बाहर अन्य राज्य की महिला जो विद्यालयमें सामान्य वर्ष की भूल विवाहीती वर्ष जाती है तो उसे public employment में एसी/एसटी/ओवीसी/एमबीसी वर्ष में आरक्षण का लाभ नहीं दिया जायेगा। इसलिए उन्हें सामान्य वर्ष के अन्तर्गत ही आवेदन करना होगा।
  - कानिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 15.03.2013 एवं 21.11.2019 के अनुसार ही उत्कृष्ट विलायी की पात्रता रखने वाले अन्यथायों को आकान का लाभ देय होगा। विध्यालय संख्या 01 से 08 तक के प्राक्तन लीटिज वर्ष के अन्तर्गत वर्ष आरक्षित होने की स्थिति में ही लाभ होगे।

३४५

- (1) Degree in Agriculture Engineering of a University established by law in India.

- (2) Working knowledge of Hindi written in Devnagri Script and knowledge of Rajasthan Culture

(2) Working knowledge of English written in Devanagari Script and knowledge of Rajasthani Culture.

Note: 1. अन्यथी को बाहित रैकागिक रुपरता (रैकागिक योग्यता, जननुमय व आशु इत्यादि) होने पर ही Online आइडेन करना चाहिये तथा पि ऐसे अन्यर्थियों को जायोग हास ऑनलाईन आइडेन पत्र की अनुमत संभालन तिथि तक ऑनलाईन आइडेन पत्र को प्रवाहारित (Withdrawal) करने का विकल्प उपलब्ध होगा।

2. असत्य एवं नली सूखना के क्षेत्र पर आवेदन करना तथा अहंत नहीं होने पर भी उसे प्रत्याहारित (Withdrawal) नहीं किया जाना चाहती न्याय सहिता, 2023 (RNS) को घास 217 के तहत धर्मनीय अप्राप्त है। ऐसे अधिकी को कालान्तर में काउन्सिलिंग/पाइल जाँच/सकात्वार के दौरान अपार्ट पाये जाने पर इस परीक्षा के अंतर्गत आवेदन को निरस्त कर्त्ता हुए आगामी तीन वर्ष की अवधि के सिलेम्पर्ट परीक्षाओं से बिकर्ता (Debar) किया जायेगा।

**प्रे-मैट्रिक्स लेवल** प्रे-मैट्रिक्स लेवल L-14  
**नोट :-** राष्ट्रीय वाचकांक को नियमानुसार परिवर्तितकरण में नियम गाइड के बताए गए हैं।

**आमु सीमा** दिनांक 01.01.2026 को न्यूनतम 20 वर्ष एवं अधिकातम 40 वर्ष से कम होनी चाहिए।  
**नोट** – उक्त पदों पर आयोग द्वारा पूर्व में वर्ष 1998 में बती की गई थी तपश्चात् उक्त पदों हेतु कोई विज्ञापन जारी नहीं किया गया। अतः जो अधिकारी दिनांक 01.01.2026 को अधिकार्य के होते हैं, उसे संबंधित रेसा नियम में विभिन्न प्रावधानमन्तराल अधिकातम आमु सीमा में दीन वर्ष की अतिरिक्त छट देय होती।

विज्ञापन पटों के अन्तर्गत विद्युति ग्रहण करने वाली की विशेषज्ञता के अनुसार विभिन्न बगें / अन्य विशिष्ट वैज्ञानिकों द्वारा देखे आये सौमा में घटक के प्रभावों

अमरपिंडी का यह एवं अन्य प्रिण्ट शैलियाँ

#### स्ट्रेपिकलास कार्य में देव सृष्टि

- |    |  |                      |
|----|--|----------------------|
| 1. | राजस्थान राज्य के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक लाप से कमज़ोर वर्ग के पुलार अभ्यासी<br>Male Candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Backward Classes, More Backward Classes and Economically Weaker Sections of Rajasthan State | 5 वर्ष<br>Five Years |
| 2. | सामाज्य वर्ग की महिला<br>Women Candidates belonging to General Category  | 5 वर्ष<br>Five Years |
| 3. | राजस्थान राज्य की अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक लाप से कमज़ोर वर्ग  | 10 वर्ष<br>Ten Years |

	<b>की नहिंता अधिकारी</b> Women Candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Backward Classes, More Backward Classes and Economically Weaker Sections (E.W.S) of Rajasthan State	Ten Years
4.	<b>विवाह एवं विविधन विवाह (प्रिस्ट्रिल) नहिंता</b> <b>Widow and divorced Women</b> <b>Explanation:</b> - That in the case of widow, she will have to furnish a certificate of death of her husband from the Competent Authority and in case of divorcee, she will have to furnish the proof of divorce.	अधिकारम आयु सीमा नहीं No Upper age limit
5.	भूतपूर्व कोई जो दर्दित होने से पूर्व सरकार के अधीन विस्तीर्ण पद पर Substantive रूप से कार्य कर चुका हो और इन नियमों के उल्लंग नियुक्ति के बीच था, उसमें ने उपरोक्त अधिकारम आयु सीमा लगा नहीं होगी। That the upper age limit mentioned above shall not apply in the case of an ex-prisoner who had served under the Government on a substantive basis on any post before his conviction and was eligible for appointment under the Rules.	
6.	अन्य भूतपूर्व कोई जो दर्दित होने से पूर्व अधिकारम का नहीं पा और इन नियमों के उल्लंग नियुक्ति के बीच था, के मामले में कारबाह में व्यतीर्ण की गई अधिकारी के बाबत छूट होगी। That in the case of other ex-prisoner the upper age limit mentioned above shall be relaxed by a period equal to the term of imprisonment served by him provided he was not overage before his conviction and was eligible for appointment under the Rules.	
7.	दैडल अनुदानको के मामले में उपरिविधि कापड़े आयु सीमा में उनके द्वाया शास्त्रीय कैरेक्ट कोर में की गयी सेवा के बाबत अधिकारी को रिहिल किया जायेगा परं विविधन अधिकारम आयु सीमा से तीन वर्ष से अधिक तो हो तो ऐसे अधिकारी को विविधन आयु सीमा में राखा जायेगा।	
8.	That the upper age limit mentioned above shall be relaxable by a period equal to the service rendered in the N.C.C. in the case of Cadet Instructors and if the resultant age does not exceed the prescribed maximum age limit by more than three years, they shall be deemed to be within the prescribed age limit.	
9.	इस सेवा के विस्तीर्ण पद पर अस्ट्राई नियुक्त व्यक्ति यहि प्रारम्भिक नियुक्ति के समय आयु सीमा में से तो उन्हे आयु सीमा में ही समझा जायेगा जाकि पै आधोर के समझ आखिरी उपरिविधि के समय उसे पार कर चुके हों और यदि वे प्रारम्भिक नियुक्ति के समय इस प्रकार पार थे तो उन्हे दो अवधार दिये जायेंगे। That the persons appointed temporarily to a post in the Service shall be deemed to be within the age limit had they been within the age limit when they were initially appointed even though they have crossed the age limit when they appear finally before the Commission and shall be allowed up to two chances had they been eligible as such at the time of their initial appointment.	
10.	उपरिविधि विवाह के बाबत अधिकारम आयु सीमा 40 वर्ष होगी। Notwithstanding anything contained contrary in these Rules in the case of persons serving in connection with the affairs of the State in substantive capacity, the upper age limit shall be 40 years for direct recruitment to posts filled in by competitive examinations or in case of posts filled in through the Commission by interview.	
11.	निरुक्त आवारा कमीशन प्राप्त अधिकारियों को एवं लघु सेवा कमीशन द्वाया अधिकारियों को, सेवा से निरुक्त होने के पश्चात् जब वे आधोर के समझ उपरिविधि हों, आयु सीमा में समझा जायेगा जाकि उन्होंने आयु सीमा पार कर ली हो वहि वे सेवा में कमीशन पठान करने के समय आयु सीमा की दृष्टि से पात्र हों। That the Released Emergency Commissioned Officers and Short Service Commissioned Officers after release from the Army shall be deemed to be within the age-limit even though they have crossed the age-limit when they appear before the Commission, had they been eligible as such at the time of their joining the Commission in the Army.	
12.	पंचायत समितियों तथा जिला परिषदों और उच्च के परिषद सेक्टर उपकार्य/नियमों के कार्य कलापों के सम्बन्ध में Substantive रूप से सेवारत व्यक्तियों के लिए अधिकारम आयु सीमा 40 वर्ष होगी। Provided that the upper age limit for the reservists, namely defence Service Personnel transferred to the reserve, shall be 50 years.	
13.	राजस्वान सिविल सेवा (भूतपूर्व सेविकों का आगेलन) नियम, 1988 के अनुसार भूतपूर्व सेविकों को उपरी आयु सीमा में 10 वर्ष की छूट देय होगी परन्तु सीधी भर्ती की दशा में जहां निम्नतर पद पर अनुमति भी अनिवार्य है वहां भूतपूर्व सेविकों को इन नियमों के अधीन वहले से ही उपरिविधन आयु में दिये गये विविलीकरण के अन्तिरिक्ष निम्नतर पद पर अपेक्षित अनुमति की कालावधि की बाबत आयु में विविलीकरण दिया जायेगा। परन्तु इन नियमों के अधीन विविलीकरण के पश्चात् यदि अनुमति आयु 50 वर्ष से अधिक निकलती है तो उपरी आयु सीमा 50 वर्ष लगू होगी किन्तु सीधी भर्ती की दशा में जहां निम्नतर पद का अनुमति अनिवार्य है वहां 55 वर्ष की अधिकारम कर्तवी आयु सीमा लगू होगी। According to the Rajasthan Civil Services (Absorption of Ex-servicemen) Rules 1988, relaxation in upper age limit shall be 10 years to Ex-servicemen. Provided that in case of direct recruitment where experience is also essential on lower post then relaxation in age equal to the period of requisite experience of the lower post shall be given to the ex-servicemen in addition to the relaxation in age already provided under these rules; Provided that permissible age after relaxation under this rule work out to be more than 50 years then upper age limit of 55 years shall be applicable but in case of direct recruitment where experience of lower post is essential the maximum upper age limit of 55 years shall be applicable. राष्ट्रीयकरण - कार्यपाल (क-2) विभाग के परिषद दिनांक 22.8.2019 के अनुसार राजस्वान सिविल सेवा (भूतपूर्व सेविकों का आगेलन) नियम, 1988 यातासार्थित वे प्राक्कार्यों के होते हुए भी किसी भर्ती से संबंधित सेवा नियमों में आयु सीधी भर्ती विविलिता अन्य लोक सेवकों/अधिकारियों को देय है, वह भूतपूर्व सेविका जो भी देय होगी अस्तित्व आयु सीधी विविलिता के सम्बन्ध में दोनों नियमों में जो भी हितकार प्राक्कार्य है, उसका लाभ भूतपूर्व सेविकों को मिलेगा।	
14.	राजस्वान विद्यार्थिन अधिकारम नियम, 2018 के अनुसार निवाक्तजन व्यक्तियों के लिए उपर उल्लेखित उपरी आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट देय होगी। According to the Rajasthan Rights of Persons with Disabilities Rules 2018, the upper age limit mentioned above shall be relaxed by 05 years for persons with benchmarks disabilities.	
नोट - विभिन्न वर्गी/अन्य विविधन श्रेणियों हेतु देय आयु सीमा में छूट के उक्त प्राक्कार्यों नियम सामान्य विधियों में अधिकारम आयु सीमा से कम/एक वर्ष की आयु सीमा में छूट दी गई हो, यद्यपि वे नियमानुसारी माने जायेंगे।		
<b>नोट -</b>		
1.	उपर्युक्त वर्गी आयु सीमा में छूट के विन्दु संख्या 01 से 13 तक के प्राक्कार्य असंख्याती (Non Cumulative) हैं। अर्थात् अन्यविधियों को उपर्युक्त वर्गी के विन्दु संख्या 01 से 13 तक का लाभ दिया जायेगा। एक से अधिक प्राक्कार्यों को जोड़ कर छूट का लाभ नहीं दिया जायेगा।	
2.	उपर्युक्त विन्दु संख्या 01 से 13 तक के अनुसार उपरी आयु सीमा में छूट देय होते ही उपरान्त विन्दु संख्या 14 से उत्तर्युक्त प्राक्कार्य के अनुसार विविलिता 55 वर्ष की आयु सीमा में छूट देय होगी।	
3.	कार्यपाल (क-2) विभाग के परिषद दिनांक 28.7.2017 एवं पत्र दिनांक 14.9.2017 व 19.02.2021 के अनुसार लम्बवत् (Vertical) व लैटिज (Horizontal) आकाश के अंतर्गत किसी भी के लिए आतंकित पदों हेतु मध्ये किसी अन्यविधि द्वारा गुल्के अंतरिक्ष उनको देय किसी अन्य रियाकार (जैसे- आयुसीमा, अंक, विजिकल फिटेस व्हायरि) का लाभ दिया जाता है तो उस सामान्य (अनावृति) रिक्तियों के प्रति विविलित नहीं किया जायेगा।	
4.	राजस्वान सेवा नियम के अनुसार सारकारी कर्मसाधारी हेतु सेवानियुक्ति की आयु 60 वर्ष निपालित है। इससे विविलित दिनांक तक अन्यथी की आयु 60 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।	
5.	अन्य विविश्व श्रेणियों हेतु आयु सीमा में छूट के प्राक्कार्य हिन्दी ए अंग्रेजी भाषा में अकिस किये गये हैं। किसी प्रकार के विविल वाद की सिवित में अंग्रेजी भाषा में अकिस प्राक्कार्य ही नाम होता है।	
<b>अन्य विवरण</b>		
चयन प्रक्रिया	अन्यविधियों का वयन विविल परिकार के मामलों से किया जायेगा। आवाकाशका होने पर आयोग द्वारा उत्तरापत्रक/उत्तरापुस्तका के मूल्याकान में रखेगा/मौखिकान/नीमेलाईजेशन (सामान्यीकरण) प्रदूषित की अपनाया जा सकता है। सबसित सेवा नियम के नियम 22 के अनुसार आयोग द्वारा उपर्युक्त याए गए अन्यविधियों को नाम विविल प्राक्कारी/शासन को अनुहासित किए जायेंगे जो बैरिट के ग्राम में व्यवस्थित होंगे।	
परीक्षा व्योजना व पाठ्यक्रम	परीक्षा वस्तुनिष्ठ रूप में (Offline/Online) ही जायेगी। सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रकार (Multiple choice type question) के होते।	
परीक्षा का स्थान व माह	परीक्षा स्थान व विविल के संबंध में यथासमय सूचित किया जायेगा।	
आवेदन अवधि	दिनांक 28.07.2025 से दिनांक 28.08.2025 तक 12:00 बजे तक।	
आवेदन प्रक्रिया	1. उपर दिए हेतु अनिलाईन आवेदन-पत्र भरने से पूर्व सार्वजनिक अन्यविधि आयोग की पेंस्ट्राइट <a href="https://rpsc.rajasthan.gov.in">https://rpsc.rajasthan.gov.in</a> पर उपलब्ध ऑफलाईन आवेदन-पत्र भरने के सम्बन्ध में दिये गये दिशा-निर्देश (Instructions for Applicants), विस्तृत विवाहन एवं संबंधित सेवा नियम	

- का लक्ष्यन आवश्यक रूप से जरुर लेव। तयुपरान्त ही अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन करे। आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध अधिकारीयों के लिए दिशा-निर्देश (Instructions for Applicants) विज्ञापन का नाम/हिस्सा माना जायेगा तथापि किसी विशिष्ट भाषी/परीक्षा हेतु संबंधित भाषी सेवा विज्ञापन एवं विज्ञापन में उल्लेखित प्राक्तन ही लागू होगे।
2. ऑनलाइन आवेदन करने के लिए अध्यर्थीयों जो आयोग की वेबसाइट <https://rpse.rajaasthan.gov.in> पर उपलब्ध Apply online link को Click कर अपका एसएसओ (SSO) पोर्टल <https://sso.rajaasthan.gov.in> से Login कर Citizen Apps (G2C) में उपलब्ध Recruitment Portal का चयन कर One Time Registration (OTR) करना हमारा। इसम वार One Time Registration (OTR) करने हेतु अभ्यर्थी के नाम, पिता के नाम, जन्म तिथि, लिंग, ईकाइयों/समकक्ष परीक्षा एवं आयार कार्ड के विवरण का इन्प्रायज एवं ऑफलाइन ऑफलाइन अपलोड करने अनिवार्य होगे।
  3. जिन अध्यर्थीयों द्वारा पूर्व में OTR किया जा चुका है, वे अध्यर्थी एसएसओ पोर्टल <https://sso.rajaasthan.gov.in> से Login कर Citizen Apps (G2C) में उपलब्ध Recruitment Portal का चयन कर अपने OTR नंबर/संख्या के आधार पर ऑनलाइन आवेदन करे।
  4. अध्यर्थी द्वारा One Time Registration करने के पश्चात OTR Profile में स्वयं के नाम, पिता के नाम, जन्म तिथि, लिंग, ईकाइयों/समकक्ष परीक्षा का विवरण एवं आयार कार्ड के विवरण में किसी भी प्रकार का संशोधन किया जाना संभव नहीं होगा। अतः OTR करने से पूर्व आयार /SSO प्रोफाइल ने अकित विवरण का ईकाइयक विवरणों में अकित प्रविधियों से साप्ताहनीयर्वक गिलान भुगतानिकरण कर देते। यदि इसने कोई अपार है तो आयार कार्ड / SSO ID की प्रविधियों में आवश्यक संशोधन (Correction) करने के पश्चात ही OTR व ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की कार्यवाही करें।
- Note:** ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने से पूर्व अध्यर्थी अपने आयार कार्ड में वर्ज प्रविधियों द्वारा स्वयं का नाम, पिता का नाम, जन्मतिथि व लिंग को जीवि/परस्त से क्षमोऽपि One Time Registration में सूचना स्वयं प्राप्त कर ली जाती है। यदि आयार कार्ड में लगी हुई फोटो तीन वर्षों या उससे अधिक पुरानी है तो ऑनलाइन आवेदन करने से पूर्व आयार कार्ड में त्रुटिपूर्ण प्रविधियों द्वारा फोटो को अपडेट कर लें ताकि सही चूपना आवेदन पत्र में वर्ज हो सके। परीक्षा आयोजन के समय प्रवेश-पत्र में रिंट फोटो का गिलान आयार कार्ड में लगी हुई फोटो से किया जायेगा।
5. अध्यर्थी ऑनलाइन आवेदन पत्र भरते समय अपनी लाइव फोटो अपलोड करेगा। अध्यर्थी ऑनलाइन आवेदन पत्र Submit करने से पूर्व अपनी Live फोटो का Preview देखकर फोटो की प्राप्तता को सुनिश्चित करते हुए ऑनलाइन आवेदन पत्र को Submit करें।
  6. अध्यर्थी के द्वारा ऑनलाइन आवेदन करते समय हस्ताक्षर एवं लौंग हाथ की अग्रहा निशानी की तरफ कोटी अपलोड करना अनिवार्य होगा। परीक्षा आयोजन के दौरान परीक्षा कक्ष में अभियानगर की उपस्थिति में अध्यर्थी के द्वारा उपस्थिति पत्र पर पृष्ठक से अंगूठा निशानी भी लगाई जायेगी।
  7. अध्यर्थी ऑनलाइन आवेदन अधिकृत दौरान की विनाकित नवीन कोटी परीक्षा केन्द्र में उपस्थिति पत्र पर चला करने हेतु साथ लेकर आयें।
  8. अध्यर्थीयों को शुतृप्रेषण की सुधिया प्राप्त करने के लिये अपने ऑनलाइन आवेदन पत्र ने शुतृप्रेषण तकनीय विकल्प का अनिवार्य क्रम से चयन करना होगा। उक्त विकल्प का चयन नहीं किये जाने पर शुतृप्रेषण की सुधिया दिय नहीं होगी।
  9. अध्यर्थी आवेदन की अंतिम तिथि तक अपरिवर्ती की जा चुकी सभी ईकाइयक योग्यता/अनुमति का विवरण आवेदन पत्र में स्पष्टत एवं आवश्यक हीर पर अकित करें।
  10. आयोदक को ऑनलाइन आवेदन करने के पश्चात आवेदन-पत्र नंबर आवश्यक रूप से प्राप्त होगा और यदि आवेदन-पत्र नंबर (Application No.) अकित या प्राप्त नहीं हुआ है तो इसका अर्थ यह है कि उसका आवेदन-पत्र जमा नहीं हुआ है। आवेदन पत्र के Preview को आवेदन Submit नहीं जाना जायेगा।
  11. आयोदक को ऑनलाइन आवेदन करते समय अगर किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो Recruitment Portal पर दिये गये Helpdesk Number या E-Mail पर सम्पर्क होवे।
  12. आयोदक जिस श्रेणी के अंतर्गत आवेदन करने हेतु पत्र है, उसी श्रेणी में ऑन-लाइन आवेदन करें। गलत सूचना देने/तत्त्व सुधारने पर आयोग अध्यर्थी यह ढिकार नहिंत निम्नानुसार कार्यवाही के लिए विवरण देते।
  13. सूचनामूल राज्य के पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग की ईमीलेवर भेजी के आयोदक तथा राजस्वान राज्य से गिलान राज्यों की अनुसूचित जाति/अनुसूचित जमजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग (Creamy Layer and Non-Creamy Layer)/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के आयोदक सामाज्य वर्ग भी अंतर्गत आयें। अतः ऐसे आयोदकों को सामाज्य वर्ग के अंतर्गत ही आवेदन करना होगा।
  14. अध्यर्थी ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने के पश्चात आवेदन पत्र की हार्ड कॉपी का फिल्ट आवश्यक रूप से निकाल दें।
  15. अध्यर्थी ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने के पश्चात आयोग की वेबसाइट पर Exam Dashboard का समय-सम्बन्ध पर अवलोकन करें वहाँकि आयोग की परीक्षाओं/भर्ती संस्कृति समस्त सूचनाएँ आयोग की वेबसाइट पर प्रदर्शित/अपलोड की जाती है। पृष्ठक से सूचना/पत्र जारी नहीं किया जाता है।
  16. आयोग द्वारा अध्यर्थी से उक्त प्रक्रियानुसार ऑनलाइन आवेदन-पत्र भरने के अतिरिक्त किसी भी परिवर्तिति में किसी भी प्रकार का अन्य कोई ऑनलाइन या ऑफलाइन/हाथ से मरा हुआ आवेदन-पत्र स्ट्रीकर नहीं किया जायेगा एवं किसी भी प्रकार का ऑफलाइन प्रक्रान्त न्यूक्लियर आवश्यक होता है।

**ऑनलाइन आवेदन पत्र में संशोधन संकेत सूचना —** — ऑनलाइन आवेदन Submit किये जाने के पश्चात यदि आयोदक की किसी प्रकार की त्रुटि का पता लगता है तो अध्यर्थी ऑनलाइन आवेदन में OTR Profile में दर्शाए गये स्वयं के नाम, पिता के नाम, जन्म तिथि व लिंग के लिए जिस आवेदन-पत्र के लिए आवेदन करने के लिए जिसनामनुसार कार्यवाही के लिए विवरण देने/तत्त्व सुधारने पर आयोग अध्यर्थी यह ढिकार नहिंत निम्नानुसार कार्यवाही के लिए विवरण देते।

1. यदि कोई अध्यर्थी अपने Online आवेदन पत्र में संशोधन करना चाहता है तो आवेदन की अवधि के दौरान एवं आवेदन पत्र की अंतिम दिनांक के पश्चात 10 दिवस के भीतर निम्निर्दित शुल्क रूपये 500/- का ऑनलाइन भुगतान कर आवेदन पत्र में Online संशोधन (आयोग की वेबसाइट <https://rpse.rajaasthan.gov.in> पर उपलब्ध दिशा-निर्देशनुसार) कर सकता है। इसके पश्चात किसी प्रकार का संशोधन/परिवर्तन स्वीकार नहीं किया जाएगा। एवं ऐसी किसी भी त्रुटि का जन्मानुसूचित विवरण में अधिकारीय विवरण देने/तत्त्व सुधारने पर आयोग अध्यर्थी का ही होता है।
2. आयोग द्वारा प्रदत्त घोषित परीक्षा आयोजन की तिथि से 60 दिवस पूर्व 07 दिन के लिए ऑनलाइन रेडिट हेतु विकल्प सूला जायेगा जिसके अंतर्गत अध्यर्थी के फोटो, नाम, पिता के नाम, जन्म तिथि एवं स्वयं के नाम, पिता के नाम, जन्म तिथि व लिंग के लिए जिस आवेदन-पत्र जमा नहीं हुआ के लिए जारी होती है।
3. **One Time Registration (OTR) लागू** किये जाने के कारण ऑनलाइन आवेदन में अध्यर्थी के नाम, पिता के नाम, जन्म तिथि व लिंग में किसी भी त्रुटि कर सकता है।
4. किसी भी प्रकार के संशोधन के पश्चात अध्यर्थी को एसएसएस के माध्यम से सूचित किया जायेगा एवं किसी भी प्रकार का अन्य कोई ऑनलाइन या ऑफलाइन/हाथ से मरा हुआ आवेदन-पत्र स्ट्रीकर नहीं किया जायेगा एवं किसी भी प्रकार का ऑफलाइन प्रक्रान्त न्यूक्लियर आवश्यक होता है।
5. सभी प्रकार के अनुमति संशोधन हेतु शुल्क 500/- रुपये निर्धारित है।
6. आयोग द्वारा परीक्षा आयोजन के पश्चात अधिकारीय विवरण की अप्रतिक्रिया के लिए जिसनामनुसार कार्यवाही के लिए जिस आवेदन-पत्र जमा नहीं किया जायेगा।
7. आयोग द्वारा अध्यर्थी से उक्त प्रक्रिया के अतिरिक्त अन्य किसी भी तरह से कोई संशोधन स्वीकार नहीं किया जायेगा व उक्त संशोधन प्रक्रिया के उपरान्त कोई भी कानूनी असिकार नहीं होता।

**प्रक्रान्तीय न्यूक्लियर शुल्क — कार्यालय (क-2)** कियाग के परिवर्तन दिनांक 19.04.2023 के द्वारा समस्त भर्ती परीक्षाओं में एककान्तीय न्यूक्लियर शुल्क निर्धारित किया गया है जो निम्नानुसार है—

1. सामाज्य (जनानपरिवर्तन)/पिछड़ा वर्ग की ईमीलेवर/अति पिछड़ा वर्ग की अधिकारीय विवरण देने/तत्त्व सुधारने पर आयोग अध्यर्थी — रुपये 800/-
  2. आर्थिक वर्ग (जन्मानुसूचित जन्माति/पिछड़ा वर्ग—नीम ईमीलेवर/अति पिछड़ा वर्ग—नीम की ईमीलेवर/आर्थिक वर्ग से संबंधित न्यूक्लियर आवश्यक होता है) — रुपये 400/-
  3. विष्णविग्रहन —
- नोट:-**
1. राजस्वान राज्य से जिस अन्य राज्यों की अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन्माति/पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अध्यर्थियों के सामाज्य वर्ग का अध्यार्थी माना जाएगा। अतः ऐसे आयोदकों को सामाज्य वर्ग की अध्यर्थीयों के लिए निर्धारित पंजीयन शुल्क देना होगा।
  2. जिन अध्यर्थियों द्वारा पूर्व में बन टाईम रजिस्ट्रेशन किया जा चुका है वे अध्यर्थी भी एसएसएसी आईकी द्वारा लॉग इन कर बन टाईम रजिस्ट्रेशन के अधिकार द्वारा दिया जायेगा।
  3. एककान्तीय न्यूक्लियर शुल्क जमा करने के पश्चात परीक्षाकों में उपस्थित नहीं होने वाले अध्यर्थियों के लिए कार्यालय (क-2) कियाग द्वारा परिवर्तन दिनांक 09.05.2025 जारी किया गया है जो कि निम्नलिखित है—
- (i) कोई अध्यर्थी आयोग/होई व अन्य भर्ती संस्थाओं द्वारा एक विशीय वर्ष (दिनांक 01 अप्रैल से 31 नवंबर) में आयोजित 02 भर्ती परीक्षाओं में उपस्थित नहीं होता है तो

ऐसी स्थिति में आमतौर पर कॉन्सिलर्स अपेक्षा करने की सुविधा को प्रतिबन्धित (Block) कर दिया जाएगा।

(ii) अन्यार्थी द्वारा गुम्बद 750/- कृपये का प्रभावित करने के पश्चात् ही एकत्रीय पंजीयन गुम्बद (O.T.R.) को पुनः बाल (Unblock) किया जायेगा।

(iii) एक बार O.T.R. पुक्त भालू (Unblock) होने पर यदि अमर्याई उसी विशेष वर्ष में 02 और परीक्षाओं में अनुपरिषिक्त रहता है तो उसकी ऑनलाइन आवेदन करने की सुविधा को पुनः प्रतिस्थित (Block) कर दिया जायेगा।

(iv) पुनर्प्रतिवर्षित O.T.R. को अन्यकी के द्वारा यांत्रिक रूप से 1500/- का भुगतान करने के पश्चात् ही ओटीआर संकेता पुनर्चार की जायेगी।

टिक्की-यदि कोई आवेदक किन्हीं कारणों से परीक्षा में उपस्थित होने का इच्छुक नहीं है तो उसे इस परीक्षा लिखि से पूर्व जारीग द्वारा आवेदन पत्र को प्रत्याहारित (Withdraw) किये जाने का अवसर प्रदान करने पर आवेदन पत्र प्रत्याहारित किये जाने पर इस परीक्षा में औटीआर प्रतिबन्धित करने के संदर्भ में अनुपस्थित नहीं माना जाएगा।

पिण्डें योग्यतान् / दिव्यांगजनं अम्बर्धियों को सुरालेखक / शहिपूरक सभय उपलब्ध करायाएं जाने के संबंध में विशेष निर्देश—

- अभ्यर्थी द्वारा अनिलाईन आवेदन पत्र में विद्यागमन/विशेषज्ञान/विज्ञान सेन्सरी भौतिकीय कार्यक्रम का बधान किये जाने का अनिवार्य यह नहीं है कि यह भूतलेखक की सुविधा प्राप्त करने के लिए पत्र/योग्य है। भूतलेखक की सुविधा प्राप्त करने के लिए अभ्यर्थी को आयोग द्वारा जारी निर्देशों की पालना किया जाना आवश्यक है अन्यथा अभ्यर्थी को भूतलेखक की सुविधा देने नहीं होगी।
  - ऐसे विद्यागमन अभ्यर्थी जो स्वयं का भूतलेखक लाना चाहते हैं, उन अभ्यर्थियों को परीक्षा दिनांक से कम से कम एक दिवस पूर्व दिव्यागमन का वाइटिंग चिकित्सा प्रमाण-पत्र अभ्यर्थी एवं भूतलेखक का बदलने-पत्र, भूतलेखक की फोटो प्राप्त करने व वीडियो प्रमाणित केन्द्रीयीकृत को प्रस्तुत करनी होगी।
  - ऐसे विद्यागमन अभ्यर्थी जो आयोग/केन्द्रीयीकृत से भूतलेखक प्राप्त करना चाहते हैं, उन अभ्यर्थियों को परीक्षा दिनांक से कम से कम दो दिवस पूर्व दिव्यागमन का वाइटिंग चिकित्सा प्रमाण-पत्र, अभ्यर्थी का बदलने-पत्र लोन्ड्रीयीकृत को प्रस्तुत करना होगा।
  - The Rights of Persons with Disabilities Act, 2016 के Section-2(f) के तहत परिमाणित विशेष योग्यजन (40 प्रतिशत या 40 प्रतिशत से अधिक निःशक्तता) की दृष्टिकोणित (Blindness), लेंगोमोटर डिसेबिलिटी (दोनों हाथों की निःशक्तता-Both Arms) एवं सेंट्रल प्रॉटोक्ल भौतिकीय कार्यक्रम का बदलने-पत्र के आधार पर भूतलेखक की सुविधा दी जायेगी। उक्त भौतिकीयों के लिया Section- 2(f) के तहत परिमाणित अन्य कंपी के मानदंड में लेखन कार्य में भूतलेखक के संबंध में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी/चिकित्सा अधीक्षक से अनुमोदित प्रमाण-पत्र (आयोग की वेबसाईट पर उपलब्ध Appendix-C), दिव्यागमन का चिकित्सा प्रमाण पत्र एवं भूतलेखक का बधान-पत्र प्रस्तुत करने पर भूतलेखक की सुविधा देने होंगी और/या अतिपूरक समय प्रदान किया जायेगा।
  - The Rights of Persons with Disabilities Act, 2016 के Section-2(s) के तहत परिमाणित विशेष योग्यजन (40 प्रतिशत से कम निःशक्तता) की कंपी के मानदंड में लेखन कार्य में भूतलेखक के संबंध में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी/चिकित्सा अधीक्षक से अनुमोदित प्रमाण-पत्र (आयोग की वेबसाईट पर उपलब्ध Appendix-D) एवं दिव्यागमन का चिकित्सा प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर भूतलेखक की सुविधा और/या अतिपूरक समय प्रदान किया जायेगा। ऐसे अभ्यर्थियों को भूतलेखक की सुविधा और/या अतिपूरक समय प्रदान किया जायेगा। ऐसे अभ्यर्थियों को भूतलेखक की सुविधा और/या अतिपूरक समय देय नहीं होगा।
  - भूतलेखक के संबंध में विस्तृत निर्देशों एवं प्रमाण-पत्रों का आयोग की वेबसाईट पर उपलब्ध "Candidate Information> Important Downloads> Instructions for availing services of Scribe" के अन्तर्गत अवलोकन करें। वेबसाईट पर उपलब्ध भूतलेखक संघीय इन निर्देशों को विज्ञापन का भाग/हिस्सा माना जायेगा।

### Scheme of Examination

S.No.	Subject	No. of Questions	Total Marks	Examination Duration
I.	Concerned Subject (as prescribed in qualification)	150	150	2 Hours & 30 Minutes
	Total	150	150	

Note:- The detailed Syllabus will be intimated to the candidate within the stipulated time in the manner as the Commission deems fit.

1. The competitive examination shall carry 150 marks and 150 questions of Multiple Choice Type questions.
  2. There shall be one paper. Duration of Paper will be Two hours and Thirty Minutes.
  3. Negative marking shall be applicable in the evaluation of answers. For every wrong answer one-third of the marks prescribed for that particular question shall be deducted.

**Explanation:-** Wrong answer shall mean an incorrect answer or multiple answers.

जुकाम पर्याप्त कार्योजित की जाने वाली परीक्षा के लिए और एनआर चर्टररप्रॉफेशनल में प्रवर्हनों की विकाल्प भवनों के संबंध में विवेच निर्देश-

1. Each question has five options marked as 1, 2, 3, 4, 5. You have to darken only one circle (bubble) indicating the correct answer on the Answer Sheet using BLUE BALL POINT PEN.
  2. It is mandatory to fill one option for each question.
  3. If you are not attempting a question then you have to darken the circle '5'. If none of the five circles is darkened, one third (1/3) part of the marks of question shall be deducted.
  4. After solving question paper, candidate must ascertain that he/she has darkened one of the circles (bubbles) for each of the questions. Extra time of 10 minutes beyond scheduled time, is provided for this.
  5. A candidate who has not darkened any of the five circles in more than 10% questions shall be disqualified.

अति भवत्यपुणि लिङ्ग/गोट :-

- अपनी Online Application Form में अपना वही गोबाईल नम्बर व ई-मेल आई दी जाकिए करे जिस पर वह परीक्षा/नालागाराम इत्यादि संकेती भावी भूम्भाना SMS & E-Mail को भेजेगा जो चाहता है। औनलाईन आवेदन में जिकिए गोबाईल नम्बर व ई-मेल आई दी बदलने/बन्द होने/नेटवर्क समस्या होने पर सुधनाए प्राप्त नहीं होने पर अपनी की स्थाप की जिम्मेदारी होगी।
  - अम्बरी स्वास्थ्य नम्बर ईव पर ज्ञावहार के पाते में परिवर्तन नहीं करे बढ़ि परिवर्तन किया जाना ज्ञावस्थक हो तो इसकी सूचना कारोग को खोज जें।
  - आवेदक अपना औनलाईन आवेदन—पत्र ध्यानपूर्वक भरे। अपना औनलाईन आवेदन—पत्र अनियंत्रण क्षम से Submit करने से पूर्ण उसकी तानसरा प्रतिष्ठिती से ज्ञावस्थत हो जे तो जो नियंत्रित होती ही भरी गई है। आवेदक हासा आवेदन ने भरी गई प्रतिष्ठिती को ही रही बानकर आयोग हासा आगे की कार्यवाही की जायेगी।
  - अम्बरी आयोग हासा नियंत्रित समय सीमा ने आवेदन की अनियंत्रण दिनांक का इन्तजार किये जिन औनलाईन आवेदन करे, उन्हाँच किसी प्रकार छी कोई नेटवर्क समस्या के लिए आयोग जिम्मेदार नहीं होकर अम्बरी स्वयं जिम्मेदार होगा।
  - आवेदक हासा स्वयं/ई-मित्र/अन्य जिसी स्त्रीता से औनलाईन आवेदन—पत्र भरते/भरताते समय किसी प्रकार की कोई गलत प्रतिष्ठि/भूलदण त्रुटि हो जाती है, तो इसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी स्वयं आवेदक की होगी। इसलिए आवेदक सर्वाप्रथम औनलाईन आवेदन—पत्र के Preview में अपनी जाति/वर्ग/श्रेणी, आगे (जन्म दिनांक), विवर, जीवन्ता इत्यादि तात्परी वर्जन प्रतिष्ठितों की जीव ज्ञावस्थक क्षम से करने के पश्चात त्रुटि होने पर उन्हें सुधारने के पश्चात औनलाईन आवेदन—पत्र को Submit करे और उसका फिर लेकर उसकी जीव ज्ञावस्थक क्षम से पुनः कर लें। उग्रर फिर भी कोई गलती/त्रुटि पाई जाती है, तो आयोग हासा औनलाईन आवेदन—पत्र में साझेधन की नियंत्रित प्रक्रियात्मक संस्थान आवेदक स्वयं क्षम से कर लें। इसके पश्चात किसी प्रकार का कोई औनलाईन या जीफलाईन संशोधन/परिवर्तन स्थीकार नहीं किया जाएगा एवं ऐसी किसी भी त्रुटि का सम्पूर्ण दायित्व स्वयं अम्बरी का ही होगा। साथ ही आवेदक को यह भी हिदायत दी जाती है कि आवेदक अगर ई-मित्र अथवा अन्य स्त्रीता से आवेदन करता है, तो आवेदक स्वयं ई-मित्र अथवा अन्य स्त्रीता के भरोसे न जाके कि उनके हासा आपका औनलाईन आवेदन—पत्र राहीं—सही भर दिया होगा/जायेगा। किसी भी प्रकार की गलत सूचना भरे जाने पर आयोग अम्बरी के विरुद्ध कार्रवाई किये जाने हेतु स्वतंत्र होगा।
  - यदि आवेदक हासा अपनी श्रेणी से मिल श्रेणी में आवेदन किया जाता है तो इसे अधिकारी का परिचय भानते हुए आवेदन पत्र में साझेधन की सुपर्युक्त नियंत्रित अवधि के पश्चात श्रेणी से सूचार की सूचिया/अनुसूचि नहीं दी जाएगी। गलत श्रेणी में आवेदन करने पर आवेदक का आवेदन—पत्र आयोग हासा किसी भी स्तर पर रद्द किया जा सकता है, जिसका समाप्त जिम्मेदारी आवेदक की होगी। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य विच्छावर्ग/अतिविच्छावर्ग/आविक क्षम से उत्तरायण वर्ग/उत्तरायण विलासी/भूमुखी सैनिक/अनुसूचित क्षेत्र/किला/परिवर्तन विच्छाव/उत्ताकत्तुया/परित्वका/विकलांगासा/राज्य कर्मचारी/गैर साजप्रति कर्मचारी/नवालयिक कर्मचारी/विभागीय कर्मचारी/झन्द वर्ग के अम्बरी Online Application Form प्रत्युत (Submit) करते समय अपने वर्ग का त्पष्ट लप से उत्तरायण नियंत्रित बोल्ड में करे औन्यथा Online Application Form प्राप्ति की अनियंत्रण करने की अवधि समाप्त होने के बाद वर्ग परिवर्तन नहीं किया जायेगा और ऐसे अम्बरीयों को जो कि अपने जांचेता वर्ग का उत्तरायण नहीं करते हैं तो वर्ग विच्छेद का लाप जिसापित पदों हेतु देय नहीं होकर आवेदक हासा औनलाईन आवेदन—पत्र में जी श्रेणी/वर्ग भरी/भरा है, उसी श्रेणी/वर्ग में ही बानकर कार्यवाही की जायेगी। अम्बरी/आवेदक हासा जिस श्रेणी/वर्ग में औनलाईन आवेदन—पत्र भरा है उस संबंधित वर्ग/श्रेणी से संबंधित प्रमाण—पत्र/इस्टार्डेज जो कि औनलाईन आवेदन की अतिपि जिथि से पूर्ण वर्ग/श्रेणी का बना होना चाहिए, उसका समय प्रत्युत नहीं करने पर आवेदक/अम्बरी की पात्रता को अनावसीत/मूल वर्ग जी विवित के विरुद्ध दिवायित किया जायेगा, जिसकी समस्या विस्तैरिती स्वयं अम्बरी की होगी।
  - आवेदक जिसको औनलाईन आवेदन—पत्र आवेदन—पत्र प्राप्ति की अनियंत्रण कियागल ताक अपांग स्वास्थ्य सीमा तो पास समस्या जिसकी पाप्त होने पर अवेदक/अम्बरी की पात्रता को अनावसीत/मूल वर्ग जी विवित के विरुद्ध दिवायित किया जायेगा, जिसकी समस्या

द्वारा अननियम (Provisional) स्पष्ट हो रहीं। इसका अधिकारी अननियम स्वरूप से सही मान ली गई है अथवा उन्मीदवार द्वारा आवेदन-पत्र में चलिखित प्रविष्टियों का अधिक द्वारा सही मान ली गई है। आदेश/विचार द्वारा आवेदकों की पात्रता की जीव अलग हो की जाती है। अनुसृत लघु संवाद और उनीं की विवरणों में आवेदक को विस्तृत आवेदन-पत्र औननियम सम्बन्धीय दस्तावेजों की स्वीकृति की व्यवस्थाएँ फॉलो इसी प्रकार है—प्रवेश पत्र की प्रति भी अपलोड करनी होगी। आदेश द्वारा उन्मीदवार की याज्ञा की जीव मूल प्रतेकी अधिकारी को इसी प्रतियों से विपरीत समय यदि अधिकारी की आए शीक्षणिक योग्यता, आपक्षित वर्ग (अनुसृतित जाति/अनुसृति चन्नजाति/विचारा वर्ग/अति विचारा वर्ग/आत्मिक स्पष्ट होने के मानदंड वर्ग/उत्तम विचारा/मूलपूर्वी वीनिका/अनुसृति वीनि/विचारा/विचित्र विचारा/विचारकृदा/परिवलना/विकलाना/सञ्च कर्मचारी/गैर राजप्रतिवं कर्मचारी/मन्त्रालयिक कर्मचारी/विमानीय कर्मचारी) तथा विचारन में उत्त्वेषित अन्य रातों के वर्तनशब्दों की अपाव्रता ज्ञात होने पर इस परिणा है। उसकी उन्मीदवारी किसी भी स्तर पर उद्योग की जा सकती है जिसकी उमस्ता जिम्मेदारी स्वयं अधिकारी की होगी।

- किसी भारी परिका में अवश्यक रूप से शास्त्र प्रधिक होने के उपराना आयोग द्वारा अभ्यासी जो विस्तृत आवेदन पत्र जाने हेतु निर्धारित समयावधि के लिए जिक्र खोला जायेगा। निर्धारित समयावधि के उपराना यह लिंग रद्द ही निर्धारित हो जायेगा। इसके उपराना किसी भी प्रकार से विस्तृत आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किया जायेगा एवं अभ्यासी की जन्मर्यादा रद्द कर दी जायेगी। जिसकी समस्त जिम्मेदारी अभ्यासी की होगी।

9. मान्यता उच्च न्यायालय, याचिपुर द्वारा D.B.Special Appeal Writ No. 1631/2017 आरपीएसारी बनाम प्रियंका जैन व अन्य के प्रकरण में पारित निर्णय दिनांक 01.11.2017 के अनुसार ऑनलाइन आवेदन-पत्र प्राप्ति की अनिम दिनांक तक विधवा/परिवत्ता/विविध विवाह/तलाकबुद्धि वर्ग में आवेदक महिला द्वारा आवेदन पत्र प्राप्ति की अंतिम प्रियंका के पश्चात् पुनर्विवाह कर लिया जाता है तो भी उसे विधवा/विविध विवाह/तलाकबुद्धि/परिवत्ता वर्ग का जाप दिया जायेगा।

10. ऑनलाइन आवेदन पत्र पर्सो/त्रुटि सुधार संस्करण अवधि के पश्चात् कोई अभ्यासी आकस्मिक रूप से दियांग/प्रियंका हो जाता/जाती है तो उसे लिखित परिका/संभिला परिका/साक्षात्कार से अंतिम परिणाम से पूर्व वर्ग परिवर्तन के लिए आवेदन करना होगा जिसके लिए उसे विधवा हेतु आवार-कार्ड, जल्द प्रमाण-पत्र, लिंग दस्तावेज (यथा – विवाह पंजीयन प्रमाण-पत्र, चाक्षण कार्ड, बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र, नवदाता पहचान पत्र, आवार कार्ड, पति के नाम से मूल निवास प्रमाण पत्र इत्यत्थित) तथा दियांग हेतु निश्चालता प्राप्तण-पत्र वर्ग 500/- समये का ऑनलाइन शुल्क भुगतान कर उसकी प्राप्ति पर्सीद प्रस्तुत करने पर ही परिवर्तन स्वीकार्य होगा। किसी परिका के एक से अधिक चरण होने पर इसमें चरण की परिका उपर्यात अभ्यासी विधवा/दियांग होता है तो वह परिवर्तन का जाप जाने वाले परिणाम में ही देख होगा, परन्तु पूर्व के परिणाम को इस आवार पर रख्य/पुनर्वापोक्तन नहीं किया जायेगा।

11. विविध विवाह/तलाकबुद्धि/परिवत्ता यहिला अभ्यासी को ऑनलाइन आवेदन पत्र प्राप्ति की अंतिम दिनांक तक साक्षम न्यायालय द्वारा पारित न्यायालय की दिक्षी (मान्यता राजस्वदान उच्च न्यायालय, योषप्र पर में DBSA No. 72/2022 के निर्णयानुसार) प्रस्तुत करने पर ही आवार का जाम प्रदान किया जाएगा। परिवत्ता/तलाकबुद्धि/विविध आवेदक का तलाक सम्बन्धी प्रकरण/वारा मान्यता न्यायालय में विवाहार्थी/लक्षित है एवं उसी ऑनलाइन आवेदन पत्र प्राप्ति की अंतिम दिनांक तक पारित नहीं हुई है, तो परिवत्ता/विविध विवाह/तलाकबुद्धि एवं/वर्ग का जाम देव नहीं होगा।

12. विविध विवाह/तलाकबुद्धि/परिवत्ता एवं/वर्ग की महिला को ऑनलाइन आवेदन की अंतिम दिनांक तक एवं विधवा नहिला को आवेदन की अंतिम दिनांक तक अवधि विधवा की द्वारा वारा/वर्ग/संस्करण करने पर उसे वर्ग/वर्गी संस्करण की दिनांक तक पुनर्विवाह नहीं किये जाने संकेती शब्द पत्र प्रस्तुत करना होगा।

13. आवेदक उक्त पद हेतु तभी आवेदन करें जब वह उक्त पद हेतु विज्ञापन में निरिचित निम्न व उच्च आय सीमा के कल्पाति वार्षिक ईकाइयक योग्यता एवं अनुबंध के संबंधित सम्पूर्ण भागवद्ध/मापदण्ड पूर्ण करता हो। विज्ञापन में ही गई वार्षिक ईकाइयक योग्यता एवं अनुबंध के अंतिमता अन्य किसी योग्यता एवं अनुबंध को आयोग द्वारा रखीकर नहीं किया जायेगा। आवेदक के पास विज्ञापन में उल्लिखित अनुसार ईकाइयक/प्रैक्टिशियक योग्यता एवं अनुबंध प्रमाण-पत्र होने पर ही पात्र माना जायेगा अन्यथा जपात्र नहीं जायेगा।

14. अविवेक को इन विवाहमें दी गई आय सीमा में छूट के अंतिमित अन्य किसी प्रकार की कोई निम्नतम जाये एवं अधिकतम आनु संकेती छूट नहीं दी जायेगी।

15. परिवत्तायें को ई-प्रेषण-पत्र पर उल्लिखित विस्तृत विश्वा-निर्देशों की पालना तुनिश्चित किया जाना आवश्यक होगा।

16. परिका के दीर्घ प्रश्न पत्र/झोरेमार, पत्रक/उत्तर पुरुस्तका में अंकित विश्वा-निर्देशों को व्यापन में रखते हुए परिका दिया जाना आवश्यक होगा, परिका भी द्वारा दिशा-निर्देशों के अनुसार कार्यवाही नहीं किये जाने पर प्रश्न पत्र/झोरेमार, पत्रक/उत्तर पुरुस्तका में किसी प्रकार की गलती/त्रुटि के जारी परिणाम जीवी अभ्यासीयों को जान्य होगा। उसमें किसी प्रकार का कोई वाद-विवाद स्वीकार्य नहीं होगा।

17. प्रश्न-पत्र में त्रुटि होने अथवा एक से अधिक उत्तर गलत/सही होने अथवा उत्तर कुंजी में गलती/त्रुटि अथवा प्रश्नोत्तर के संबंध में किसी भी प्रकार की विवाद की स्थिति में आयोग के विवेदित विवेदितों के पैनल द्वारा टैयर की गई अनिम उत्तर कुंजी के आवार पर जारी परिणाम जीवी अभ्यासीयों को जान्य होगा। उसमें किसी प्रकार का कोई वाद-विवाद स्वीकार्य नहीं होगा।

18. परेकार्यी द्वारा कल्पाति/अपेक्षात्मक/आयोग द्वारा नियुक्त अधिकारी वा कर्मचारी द्वारा दिये गये निर्देशों का अनिवार्यत पालन नहीं करने/परीका फैन्ड पर किसी प्रकार का अनुचित व्यवहार करने/परेकार्या ने किसी प्रकार की शिकायत के होने की स्थिति ने लिखित में शिकायत देने के ल्यान पर परिका में व्यक्तान/हगाना करने एवं परिका में अनुचित सामग्री का प्रयोग/उपयोग करने पर परीकार्यों के विरुद्ध आयोग/केन्द्रीयीकान जो भी उपित्त समस्त कार्यवाही कर सकता है। साथ ही परेकार्यी के विनियम उत्तर करने सहित साक्षत्वान् तार्जितानिक परीका (भर्ती में अनुचित सामग्री के अध्युपाय) अधिनियम, 2022 के अनुसार आयोग द्वारा नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

19. यदि किसी अभ्यासी/परिका भी को आयोग/संघ लोक सेवा आयोग/अन्य भर्ती एजेन्सियों की किसी भी भर्ती/परीका में अनुचित सामग्री के प्रयोग/उपयोग या अनुचित/अपद व्यवहार के लिए भविष्य की परेकार्यों/साक्षात्कारों आदि से विवरित (Debar) किया गया है, तो उसे आयोग द्वारा आयोगित परेकार्यों/साक्षात्कार में रखी रखित होने की अनुचित प्राप्त होनी दी जायेगी।

20. राज्य कर्मचारी को देव लाम यथा आद्युतीमा में छूट, जाल्यादि इत्यादि केवल राज्यस्वान राज्य के कर्मचारियों को ही प्राप्त है। अन्य राज्य के कर्मचारी या केवल सेवा के कर्मचारी आयोग/अपदी की यात्रे जायेगी, जैसे उत्तर लाम भी ही दिया जायेगा।

प्रसाद-पत्रों का सत्यापन -

आदरका की विवाह (अनुच्छेदित जाति/अनुशूलित जनजाति/पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग/आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग/उत्कृष्ट खिलाड़ी/मूलपाद्ध दैनिक/अनुशूलित श्रेष्ठ/पिपासा/पिचिन विवाह/तलाकवृद्धा/परिवर्तनवृद्धा/पिकलांगता/राज्य कर्मचारी/पर राजपत्रित कर्मचारी/भाजालपिक कर्मचारी/विभागीय कर्मचारी/अन्य) का लान तब ही देख होना जबकि परीक्षा/मूल्य परीक्षा/संकेता परीक्षा में उत्तीर्ण घोषित होने पर यह दस्तावेजों से उसकी पाप्रता की जीव में दस्तावेज़ सही बाये गए हैं। अब पाप्रता की जीव है निम्नलिखित दस्तावेज़ प्रदर्शन करना सही विवाह का लिया जावे—

- कार्यिक (क-२) विभाग के परिपत्र दिनांक 20.01.2022 एवं दिनांक 17.10.2022 के अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक लप से कमजोर वर्ग के अधिकारीयों को आरक्षण का लाभ लेने हेतु जाति प्रमाण-पत्र औनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि तक जारी किया हुआ प्रस्तुत यदि किन्हीं कारनों से अन्यर्थी द्वारा आवेदन की अनियन्त्रित तिथि तक जारी प्रमाण-पत्र प्रस्तुत नहीं किया जाता है तथा अनियन्त्रित करना होगा प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किया जाता है तो ऐसे अन्यर्थी को इस आशय का शपथ-पत्र प्रस्तुत करना होगा कि वह आवेदन की अनियन्त्रित तिथि को संबंधित वर्ग की पात्रता स्वतंत्र या तथा यह सूधना गलत पाये जाने पर उसकी नियुक्ति नियरस्त की जा सकती।
 

\* Note: सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के परिपत्र दिनांक 06.05.2022 के अनुसार जिस व्यक्ति को पास पूर्व का EWS प्रमाण पत्र बना हुआ था परन्तु आवेदन के समय उसके द्वारा EWS प्रमाण पत्र बनाया हुआ नहीं था तो उसके द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र के आधार पर उसकी पात्रता पर विचार किया जावेगा। यदि किसी अन्यर्थी के पास आवेदन के समय या इससे पूर्व का EWS प्रमाण पत्र बना हुआ ही नहीं है तो उसे इस परिपत्र का लाभ देय नहीं होगा।
  - पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग के प्रमाण-पत्र में नियास स्थान एवं जीमीलेवर/जीन जीमीलेवर की प्रतिटियां सही-सही एवं पूर्ण-भरी गई हैं। पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग का प्राप्त-पत्र जो नियमानुसार पिता एवं माता की आय के आधार पर स्थान अधिकारी द्वारा नियासित प्रपत्र पर जारी किया हुआ है। जन्म पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग की विवाहित महिला आवेदक मी आवधित प्राप्त का लाभ प्राप्त करने हेतु अपने पिता के नाम नियास स्थान व आय के आधार पर स्थान अधिकारी द्वारा पिछित प्राप्त में नियमानुसार जारी जाति प्रमाण-पत्र दिस्तृत आवेदन-पत्र के साथ प्रस्तुत करना आवश्यक है अन्यथा उसे वर्ग का लाभ देय नहीं होगा। परि के नाम नियास स्थान व आय के आधार पर जारी जाति प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा।
  - राजस्थान राज्य के विचारण वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग के जीमीलेवर के अधिकारीयों को आरक्षण का लाभ देय नहीं है। अतः ऐसे अन्यर्थीयों को Online Application Form में तात्पात्र वर्ग के आवेदक के रूप में आवेदन करना होगा।
  - अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का प्रमाण पत्र स्थान अधिकारी द्वारा नियासित प्रपत्र पर जारी किया हुआ होना चाहिए तथा अनुसूचित होने का प्रमाण-पत्र कार्यक्रम दिवाग को अनुसूचित दिनांक 21.10.2019 के अनुसार उक्त अधिसूचना जारी होने के पश्चात् का एवं औनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि से पूर्व का जारी किया हुआ होना चाहिए।
  - अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की विवाहित महिला आवेदक जो आवधित प्राप्त का लाभ प्राप्त करने हेतु अपने पिता के नाम व नियास स्थान के आधार पर स्थान अधिकारी द्वारा नियासित प्राप्त में नियमानुसार जारी जाति प्रमाण-पत्र विस्तृत आवेदन-पत्र के साथ प्रस्तुत करना आवश्यक है अन्यथा उसे वर्ग का लाभ देय नहीं होगा। परि के नाम व नियास स्थान के आधार पर जारी जाति प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा।
  - आर्थिक लप से कमजोर वर्ग का प्रमाण-पत्र (Income & Assets Certificate) अन्यर्थी एवं उसके पिता के नाम को दर्शाते हुए नियमानुसार पारिवारिक आय के आधार पर एवं स्थान अधिकारी द्वारा नियासित प्राप्त में जारी किया हुआ प्रस्तुत करना होगा। यो राजस्थान राज्य का मूल नियासी होना चाहिए।
  - Note: विवाहित महिला आवेदक के सिए EWS प्रमाण पत्र पिता के नाम से तथा पिता एवं पिता की पारिवारिक आय के आधार पर जारी किया हुआ होना आवश्यक है। वीआरपी/प्रैक्टिशनिक योग्यता/अनुमत आवेदन की अंतिम दिनांक/प्रैक्टिशन दिनांक/साक्षात्कार दिनांक तक (जो भी विज्ञापन में उल्लिखित हो) अंतिम होना आवश्यक है तथा यो सभी प्रमाण पत्र जीसे- बीपी/वर्ग/जाति/अनुसूचित होने वेळी (स्थान अधिकारी द्वारा नियमानुसार नियासित प्रपत्र में प्रमाण-पत्र), जामू (जामू की गणना होने वीआरपी/प्रैक्टिशन प्रमाण-पत्र, तात्पात्र नियासी/प्रमाणी जीसे तेजवालाले पर उपलब्ध विवाहित प्रमाण-पत्र, विवाहित प्रमाण-पत्र, विवाहित प्रमाण-पत्र) के सिए भी

संपर्क के तहत विकिवाह अधिकारी द्वारा जारी ४८ प्रतिशत का उत्तरसे अधिक का दिव्यांगता प्रमाण—पञ्च विस्तार में निशाकाता वीं श्रेणी का स्पष्ट उल्लेख हो), राज्य कर्मचारी, गैर राजपत्रिक कर्मचारी, नियमाधिक कर्मचारी, विभागीय कर्मचारी इत्यादि या प्रमाण नियमानुसार जारी होना आवश्यक है। विवाह श्रेणी में आवेदन करने वाली नहिला आधेदक के पास पति का नुस्खा प्रमाण—पञ्च एवं पति के नाम से लिख प्रमाण पञ्च (एवा—विवाह पंजीयन प्रमाण—पञ्च, राशन कार्ड, बच्चे का जन्म प्रमाण पञ्च, भत्ताचार्य पहचान पञ्च, आवाहन कार्ड, पति के नाम से नुस्खा नियावत प्रमाण पञ्च इत्यादि) वर्ग/श्रेणी संबोधन की विनाक तक प्रस्तुत करना आवश्यक होगा, अन्यथा विवाह श्रेणी/वर्ग का सामना देख नहीं होगा। इसी प्रकार परियक्ता/ठलाकूदा/ विभिन्न विवाह श्रेणी में आवेदन करने वाली नहिला आधेदक के पास नानीय न्यायालय द्वारा पारित तालाका सामनीय दिग्गी (नानीय राजस्वान उच्च न्यायालय, फैसला पुर में DBSA No. 72/2022 के नियमानुसार) और निवार्ता आवेदन पञ्च प्राप्ति की अंतिम दिनांक तक प्राप्त होना आवश्यक है, अन्यथा परियक्ता/ विभिन्न विवाह/ तालाकूदा श्रेणी/ वर्ग का सामना देख नहीं होगा।

\*नोट- निवेदाताय विवेष योग्यतान के आदेश दिनांक 28.02.2024 के अनुसार दिनांक 01.03.2024 के पश्चात् जारी नवीन दिव्यांगता इमार पत्र UDLD / स्कॉलरशिप पोर्टल से जारी किये हुए ही नाम होंगे।

8. भूतपूर्व सीनिक के संबंध में प्राप्तवान – कार्मिक (क-2) विभाग की अधिसूचना दिनांक 22.12.2020 के अनुसार कोई व्यक्ति जो उपर्याई पैशान अधिकृत करने के पश्चात् संवादनिवृत्त भी नहीं है या आगामी एक वर्ष की भीतर संवादनिवृत्त हो रहा/ही है पर उसने सभान प्राधिकारी से नियुक्त प्रभागवाच प्राप्त बारे से लिए आवेदन करने का पात्र होगा/ होगी, किन्तु पदवहन से पूर्व उसे सामुचित नियुक्त प्राधिकारी के समान सेवानिवृत्ति का प्रभाग प्रस्तुत करना होगा। यदि कोई भूतपूर्व सीनिक निचोप्रभाग प्रभाग वड (N.O.C.) के आवार पर आवेदन करता/ करती है और यसके लिए यसकी सेवानिवृत्ति के दौरान की कालावधि के नीतियाँ पदवहन करने के लिए अनुमति किया जाएगा। कार्मिक (क-4/2) विभाग के पत्र दिनांक 19.07.2021 के अनुसार अनापत्ति प्रभाग वड पर आवेदन किये जाने के पश्चात् सेवानिवृत्ति के प्रभाग का प्रत्युत्तिकरण के लिए 01 वर्ष की अधिकी की गणना आवेदन की अधिनियमिति से की जायेगी। साथ ही यही किसी सूचापूर्व सीनिक ने आखिरात का लाभ लेने के पश्चात् राजस्वान सरकार के अधीन किसी पद पर एक बार देया इच्छन कर ली है तो राजस्वान सरकार के अधीन नियोजितन के प्रयोगान्वयन के लिए उसकी भूतपूर्व सीनिक को प्रतिस्थिति समाप्त हो जायेगी। राजस्वान सरकार के अधीन नियोजितन यथागत करने के पश्चात् किसी व्यक्ति के एक सिविल कर्मचारी माना जायेगा। परन्तु शीघ्री भर्ती की दशा में जहाँ किसी भी वर्ष के लिए किसी नियमान्वयन वद का अनुबंध अनिवार्य है, भूतपूर्व सीनिक को कोटले इस कारण से कि वह, सरकारी सेवा में किसी नियमान्वयन पद, जिसका अनुबंध उत्तराधार पद पर रीती भर्ती के लिए आयोगीत है, पर नियोजित है, भूतपूर्व सीनिक का प्रधारण यो कार्यदे से विभिन्न नहीं किया जायेगा। परन्तु यह और कि यदि कोई भूतपूर्व सीनिक राजस्वान सरकार के अधीन किसी नियोजितन को प्राप्त करने से पूर्व, विभिन्न पदों के लिए आवेदन करता है और जाकरिया लियोजन का, राजस्वान सरकार के अधीन प्राप्तिक पद एक वहन करने से पूर्व, विभिन्न पद जिनको लिए उसने आवेदन की तारीख-बार शीघ्री के बारे में कोई व्यतीय घोषणा पत्र/वक्तव्यांक देता है तो ऐसे पदों पर नियुक्ति के लिए उसी भूतपूर्व सीनिक प्रधारण के फायदे से विभिन्न नहीं किया जायेगा। परन्तु यह और भी कि भूतपूर्व सीनिक जिसे राजस्वान सरकार के अधीन नियोजित/सेविका/अस्थायी/उद्योग आधार पर पुनर्विद्योजित किया गया है जो भूतपूर्व सीनिक प्रधारण के फायदे से विभिन्न नहीं किया जाएगा। कार्मिक (क-2) विभाग की अधिसूचना दिनांक 01.08.2021 के अनुसार राजस्वान सिविल सेवाएँ (भूतपूर्व सीनिकों का आवेदन) नियम, 1988 के अंतर्गत भूतपूर्व सीनिकों को ऐप लाभ, राजस्वान राज्य के मूल नियासी भूतपूर्व सीनिकों की ही देय है।"

9. राजस्वान के परिपत्र दिनांक ४८(19)४८-१३/२००८ दिनांक 22.05.2008 के अनुसार इस परिपत्र के जारी होने की दिनांक से राजकीय सेवा में नियुक्ति हेतु विवाह पंजीयन कराया जाना अनिवार्य किया गया है। तत्सम्बन्धी विवाह पंजीयन प्रभाग-पत्र यथा समय प्रस्तुत करना वापर्तीय होगा।

10. ऐसा कोई नी अन्याई, जिसके 01.08.2002 को मा उसके प्रस्ताव दो से अधिक बच्चे/सन्तान हो, सेवा में नियुक्ति के लिए मात्र नहीं होगा, परन्तु दो से अधिक बच्चों/सन्तानों वाले किसी भी आवेदक को लिए तब तक नियोजित नहीं रामका जायेगा, जब तक कि 1 जून, 2002 को विद्यमान उसके बच्चों/सन्तानों की सत्त्वा में बढ़ावारी नहीं होती, परन्तु यह और कि जहाँ किसी आवेदक के पूर्ववर्त इसव से केवल एक बच्चों/सन्तान है, किन्तु किसी एक परव्यावर्ती प्रस्तव से एक से अधिक बच्चे/सन्तानों पैदा होती है, वही बच्चों/सन्तानों की कुल संख्या को गणना जरूर समय इस प्रकार पैदा हुए बच्चों को एक इवाही समझा जायेगा। परन्तु यह भी कि किसी आवेदक की सन्तानों की कुल संख्या की गणना करते समय ऐसी संतान की, जो पूर्ववर्त प्रस्तव से पैदा हुई ही और नियोजित ही, गणना नहीं की जाएगी। परन्तु यह भी कि ऐसा कोई अन्याई जिसने पुनर्विद्या लिया है जो किसी विकि के विलाह नहीं है और वह ऐसे पुनर्विद्या से पूर्व इस उपनियम के अधीन नियुक्ति के लिए नियोजित नहीं है तो उसे नियोजित नहीं किया जाएगा यदि ऐसे पुनर्विद्या से एकल प्रत्याहा किसी संतान का जन्म हुआ हो। परन्तु यह कि इस नियम के उपकार किसी विकि एवं विविन्न विवाह/तलाकक्षुदा/परिवारका भैनी को नहिलाऊ की नियुक्ति पर लाना नहीं होगा। तत्सम्बन्धी राज्य-पत्र यथा समय प्रस्तुत करना वापर्तीय होगा।

11. आवेदक को विभागन में उल्लेखनामार आवश्यक योग्यता व अनुभव प्रभाग-पत्र यथा समय प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।

12. विविन्न विवाह/तलाकक्षुदा/परिवारका भैनी की नहिला को अनिलाईन आवेदन की अंतिम दिनांक तक एवं विका नहिला को आवेदन की अंतिम दियि तक अवश्य किया के द्वारा कर्णी/क्षेत्री संसोधन करने पर उसे वर्ष/क्षेत्री संसोधन की दिनांक तक पुनर्विद्या नहीं किये जाने संकेती शाप्त पत्र प्रस्तुत करना होगा।

13. आवेदक को अनिम ईडिशन जल्दी के चरित्र प्रभाग-पत्र यथा समय प्रस्तुत करना आवश्यक होगा, जिसमें चरित्र के सम्बन्ध में कन से कम "ज़क्का" का दर्जन/अकिस होना आवश्यक होगा।

14. आवेदक को वर्ष उपरान्त आधरण सम्बन्धी जिल्ला सत्यावल प्रभाग-पत्र यथा समय नियुक्ति प्राधिकारी को प्रस्तुत करना आवश्यक होगा, जिसमें आवेदक को खिलाफ ऐसी किसी आपराधिक पारा का उल्लेख नहीं होना चाहिये जिससे राज्य सेवा में नियुक्ति में बकाया/समस्या ज्ञावन हो। साथ ही किसी आपराधिक प्रकरण में दोषितद्वारा भी नहीं प्रकरण/वाय न्यायिक रूप से विवाहालीन होने पर नियुक्ति हेतु आवज होगा।

15. आवेदक को वर्ष उपरान्त लक्ष्म प्राधिकारी द्वारा जारी विकिला योजना राज्यभन्नी विकिला प्रभाग-पत्र यथा समय नियुक्ति प्राधिकारी को प्रस्तुत करना आवश्यक होगा, कि आवेदक पूर्णतया से स्वतंत्र है एवं राज्य सेवा के लिए पूर्णतया स्पष्टता है।

16. आवेदक जो पहले से ही संकारी सेवा यथा कर्नीय/सर्व/सरकारी उपचारों के नियुक्त है एवं उमका चयन उक्त पदों हेतु भर्ती में हो गया है, उसमें अपने नियोजित से अनापत्ति प्रभाग-पत्र यथा समय प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।

17. अम्बांग की पात्रां के रखने में संबंधित रोपा नियम के अनुसार आयोग वाला विषय आरोग होगा।  
**आवेदन-पत्र** में गलत/**कुटिपूर्ण सूचना**/**अपूर्ण आवेदन-पत्र** नहीं भरने के संबंध में विशेष मिरेंड़ :-  
 अम्बांग की अनिलाईन आवेदन-पत्र भरने से पूर्ण एकाधारीय परीक्षण शुल्क, आवेदन प्रक्रिया, प्राप्ति व पत्रों से संबंधित सूचना एवं परीक्षा से संबंधित जन्य बिन्दु व सूचना के लिए परीक्षार्थियों द्वारा आयोग की ऐसाहाइट पर जारी नवीनतम एवं संस्कृतित आवेदन-पत्र व परीक्षा संस्कृति सामान्य दिशा-निर्देश तथा सम्बंधित सेवा नियमों का अध्यायान कावदशक्ति कर से करते हुए आवेदन-पत्र भरे। गलत/**कुटिपूर्ण सूचना** या **अपूर्ण आवेदन-पत्र** भरने पर आवेदक का आवेदन-पत्र रद्द कर दिया जायेगा, जिसकी रूपरूपी जिम्मेदारी व्यव्य आवेदक की होती रूपा गलत/**कुटिपूर्ण सूचना** या अपूर्ण आवेदन-पत्र के रूपार हुई अविवाक/अंकिलाईन प्राप्ति-पत्र/अनिलाईन प्राप्ति-पत्र/पत्र-व्यवहार इत्यादि अधिकार नहीं किया जाएगा। यूक आयोग द्वारा अभ्यांगी की पात्रता की जांच संबंधित भर्ती परीक्षा का परिणाम जारी होने के पश्चात अस्थाई रूप से धर्यायित अभ्यांगी द्वारा प्रस्तुत दिशापूर्ण आवेदन-पत्र से बहुत ने किए गए अनिलाईन आवेदन-पत्र में भरी गई सूचना के अन्तर पर की जाती है, इसलिए अनिलाईन आवेदन पत्र में भरी गई सूचना को सही मानते हुए भर्ती परीक्षा में अस्थाई प्रवेश दिया जायेगा। अगर अभ्यांगी द्वारा अनिलाईन आवेदन-पत्र में गलत/**कुटिपूर्ण सूचना** आवधा अपूर्ण सूचना भरी है, तो अभ्यांगी का बदन रद्द करने का अधिकार आयोग का होगा व इसकी समस्त जिम्मेदारी आवेदक की होती जिसके सम्बन्ध में अभ्यांगी को गोई जाननी अधिकार नहीं होगा।

यही यह उत्तराखण्डीय है कि आदेश द्वारा उक्त विज्ञापन में विज्ञापित पद ही हु समर्पण स्थिति उक्तानुसार स्पष्ट की जा चुकी है अगर किसी भी आदेश/ई-मित्र/अन्य संस्कृत द्वारा किये गए अनिलाईन आवेदन-पद में किसी प्रकार की कोई गलती/त्रुटि/लौप/अपूर्ण सूचना रह जाती है एवं उपर्युक्त नियमोंरित प्रक्रिया अनुसार अभ्यर्थी द्वारा अन्वाहीन आवेदन-पद में आवश्यक विविध रक्षायन नहीं किया जाता है या विज्ञापन के अनुसार पूर्ण पारंपरा नहीं सख्त है इत्यादि के कारण आदेश का अनिलाईन/विस्तृत आवेदन-पद आदेश द्वारा खारिग/गिरता कर दिया जाता है तो इस सम्बन्ध में किसी प्रार्थना-पद पर विश्वार-नहीं किया जाएगा और अभ्यर्थी को कोई कानूनी अधिकार भी नहीं मिलेगा।

**न्य दिन्दु व सूचना** - एकदारीय पंजीयन शुल्क, आवेदन प्रक्रिया, प्रमाण पत्रों से संबंधित सूचना एवं परीक्षा से संबंधित अन्य दिन्दु व सूचना के लिए आपसे की जेसाइट उन्नतक नमीनाम एवं संशोधित परीक्षार्थी हेतु आवेदन व परीक्षा संबंधी सामग्र्य विशेष-नियम तथा साम्बंधित सेवा नियमों का अध्ययन आवश्यक रूप से कर ले। इसके अतिरिक्त इस परीक्षा के संबंध में जन्म-समय पर जारी सूचनाओं का अदलाजन आयोग की जेसाइट <https://rpse.rajasthan.gov.in> पर कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त परीक्षी भी प्रकार के भाग नियमण/सूचना/प्रक्रियाकारण हेतु राजस्वामान लोक सेवा आयोग, अधिकार के परिवर्त में विविध स्थान तक पर व्यक्तिगत रूप से अवादा सूचना भर-145-2835212 पर सम्पर्क किया जा सकता है। उपर्युक्त पर जारीकरण सहित उन्नतक नमीनाम लोक सेवा आयोग संस्थाएँ जो संबंधित किया जाता।

प्राप्ति: १०.१.२०१८ - १५.१.२०१८ | आयोग अधिकारी

क्रमांक: F. 8 A. (01)Exam/A.En.(Agriculture)/EP-I/2025-26/ ५०

प्रतिलिपि - उप शासन संघिय कृषि (पुस्तक-1) दिनांग राजस्थान, जयपुर को उनके पत्र क्रमांक ५३(१७)/२०२४(०६४५७) दिनांक १९.०६.२०२५ के संदर्भ में गुणनार्थ एवं आवश्यक कार्यपादी हैं प्रसिद्धि है।

दिनांक : 17.07.2025

साधिव